

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 45/2018

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

बजेसिंह पुत्र ढालाराम जाति बणजारा निवासी
ताउसर तहसील व जिला नागौर

तहसीलदार, नागौर

उपस्थिति :-

1. श्री भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 15.01.18

[1]-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 177/2017 सरकार बनाम बजेसिंह में निर्णय दिनांक 31.10.17 के तहत मौजा ताउसर के खसरा नं. 334 रकबा 0.02 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.11.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.01.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि -

[2](I)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून, तथ्यों व परिस्थितियों के विपरीत पारित किया होने से खारिज होने योग्य है।

2)(II)-पटवारी हल्का ताउसर ने बिल्कुल ही मनगढत आधार पर संवत् 2074 में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार नागौर के समक्ष झूठी पेश की, क्यों कि अपीलान्ट का मकान व टांका लगभग पिछले चालीस वर्षों से बना हुआ है, अपीलान्ट का इस आवास के अलावा भारत वर्ष में कहीं भी जमीन नहीं है और अपीलान्ट एक घुमक्कड़ जाति का व्यक्ति है, जिसको बसाने के लिये समय समय पर सरकारी योजनाये बनी है, अपीलान्ट ने अपने खून पसीने की कमाई से आसरा बनाया, अगर उसे बेदखल कर दिया, तो वह बर्बाद हो जायेगा। नन्हे मुन्हे बच्चे व घर के बूढ़े सदस्य के सिर छिपाने के लिये कोई जगह नहीं रहेगी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करने में बहुत बड़ी भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है, जिससे निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

[2](III)-अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि मतदाता फोटो परिचय पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बिजली का बिल जो पेश किये गये हैं, वो तो राज्य सरकार की योजना अनुसार पेश किये गये हैं, कब्जा संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं, बड़ा हास्यास्पद तथ्य है, क्योंकि अपीलान्ट वहां निवास नहीं करते तो उनका मतदाता पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड आधार कार्ड और बिजली का कनेक्शन कैसे होते, यह सभी दस्तावेज इस बात के परिचायक हैं कि अपीलान्ट का कब्जा पुराना है, संवत् 2074 में अपीलान्ट ने कोई कब्जा नहीं किया है, साथ में अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि यह बंजारा जाति के लोग हैं, जो बाहर से आकर बसे हैं, परंतु बंजारा एक घुमक्कड़ जाति है, जिनको बसाया गया, अब उन्हें यह कहकर कि वो बाहर के हैं कतई गलत है और वो मतदाता हैं उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, उनका भामाशाह कार्ड बना हुआ है, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि वो बाहर के व्यक्ति हैं, ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील खारिज होने योग्य है।

[2](IV)-पूर्व में भी इस भूमि में से आबादी भूमि आवंटित हो चुकी है, चिपती आबादी भूमि है और गोचर भूमि में से आबादी भूमि के रूप में आवंटन किया जा सकता है और अपीलान्ट स्वतंत्र भारत का नागरिक है, उसे इस आवास में रहने से ही मतदान करने का अधिकार मिला। उसका राशन कार्ड बना, भामाशाह कार्ड बना और बिजली का कनेक्शन हुआ। इसलिये अपीलान्ट के हक में नियमन की सिफारिश करना चाहिये था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली का आदेश दिया, जो असंवैधानिक है। अपीलान्ट




अपर कलक्टर, नागौर

गरीब घुमक्कड जाति का व्यक्ति है, अगर उसे बेदखल कर दिया गया तो उसका व उसके परिवार का जीना दुर्भर हो जायेगा, सिर छिपाने के लिये कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिये कानून के मूलभूत सिद्धान्तों व मानीवीय दृष्टिकोण को नजरअंदाज करके अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है। वो खारिज किये जाने योग्य है।

[3]— राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ताउसर में स्थित गै. मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ताउसर के खसरा नंबर 334 रकबा 0.02 बीघा गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर राजकीय भूमि है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार दिये जाने प्रतिबंधित किये हुए है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

[6]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, जयपुर
नागौर